

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई०ए०एस०

राजस्व अपील सं. 17/2023

अपीलांटगण—	बनाम	रेस्पोडेंट्स —
1. श्री सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।		1. श्री बगदा पुत्र किशनाजी 2. श्री नारणा पुत्र किशनाजी 3. श्री रतना पुत्र किशनाजी जातियान पुरोहित, निवासीयान इन्द्राणा, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।

रेफरेंस आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सहपठित धारा 82 व 9 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध आदेश दिनांक 13.07.1974 जो नामान्तरकरण सं. 589 दिनांक 15.10.1985 पर तहसीलदार सिवाना द्वारा पारित किया गया।


उपस्थिति :-

1. श्री राजकीय पैरोकार उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

निर्णय

दिनांक : 16.04.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मौजा इन्द्राणा, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा के खेत खसरा नंबर 800 रकबा 149.06 बीघा के तहसीलदार सिवाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.07.1974 के विरुद्ध दिनांक 21.06.2022 को न्यायालय अति. जिला कलक्टर, बाड़मेर तथा दिनांक 01.11.2023 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रस्तुत रेफरेंस आवेदन पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा इन्द्राणा, तहसील सिवाना की भूमि खसरा नं. 800 रकबा 149.06 बीघा गत बन्दोबस्त के समय गैर मुमकिन ओरण राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। तहसीलदार सिवाना ने अपने आदेश दिनांक 13.07.1974 के जरिये अप्रार्थी को उक्त ग्राम इन्द्राणा के खसरा


जिला कलक्टर
बालोतरा

- नं. 800/1 रकबा 35.03 बीघा (नया खसरा नंबर 1495/800 रकबा 0.0405 हैक्टेयर) भूमि गैर मुमकिन ओरण के बजाय गैर मुमकिन बाड़ा दर्ज बिना जॉच भूमि का आवंटन कर दिया। तहसीलदार सिवाना को गैर मुमकिन बाड़ा के नियमन का क्षेत्राधिकार नहीं था। प्रार्थी ने यह रेफरेंस आवेदन पत्र धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सहपठित धारा 82 व 9 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर इस आवंटन को गलत बताते हुए आवंटन कमेटी के आवंटन आदेश दिनांक 13.07.0974 को निरस्त करने एवं ग्राम इन्द्राणा की आराजी खसरा नम्बर 800/1 रकबा 35.03 बीघा (नया खसरा नंबर 1495/800 रकबा 0.0405 हैक्टेयर) को अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी से निरस्त कर गैर मुमकिन ओरण दर्ज करवाने हेतु मामला राजस्व मण्डल को रेफर करने का निवेदन किया।
3. रेफरेंस आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं आलोच्य अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।
4. राजकीय पैरोकार दौराने बहस कथन किया कि मौजा इन्द्राणा, तहसील सिवाना की भूमि खसरा नं. 800 रकबा 149.06 बीघा गत बन्दोबस्त के समय गैर मुमकिन ओरण राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। तहसीलदार सिवाना ने अपने आदेश दिनांक 13.07.1974 के जरिये अप्रार्थी सं. 01 को उक्त ग्राम इन्द्राणा के खसरा नं. 800/1 रकबा 35.03 बीघा (नया खसरा नंबर 1495/800 रकबा 0.0405 हैक्टेयर) भूमि गैर मुमकिन ओरण के बजाय गैर मुमकिन बाड़ा दर्ज बिना जॉच भूमि का आवंटन कर दिया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत यह भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की है जिसका खातेदारी की घोषणा अथवा आवंटन आदि नहीं किया जा सकता। प्रार्थी ने यह भी तर्क दिया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 के द्वारा उक्त श्रेणी की भूमियों को आवंटन अथवा खातेदारी को अवैध मानते हुए निरस्त करने के निर्देश दिये हैं। आवंटन कमेटी का आदेश दिनांक 13.07.1974 को गलत एवं अवैध बताते हुए नियमन निरस्त करने एवं मामला राजस्व मण्डल को प्रेषित करने का निवेदन किया।
5. अप्रार्थी को जारी नोटिस तामिल प्राप्त हुए। अप्रार्थी को सुनवाई हेतु अनेक अवसर देने के बावजूद भी दौराने बहस अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।


जिला कलक्टर
बालोतग

6. हमने प्रार्थी की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा अपीलान्त अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार सिवाना ने यह आवेदन पत्र धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सहपठित धारा 82 व 9 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर विप्रार्थी को भूमि आवंटन कमेटी द्वारा मौजा इन्द्राणा, तहसील सिवाना के खसरा नंबर 800/01 रकबा 35.03 बीघा (नया खसरा नंबर 1495/800 रकबा 0.0405 हैक्टेयर) भूमि की अप्रार्थी की गैर खातेदारी से निरस्त कर बिना कब्जा गैर मुमकिन दर्ज करने हेतु मामला राजस्व मण्डल को रेफर करने हेतु पेश किया गया है। प्रस्तुत रेकॉर्ड के अवलोकन से यह पाया जाता है कि मौजा इन्द्राणा में अवस्थित भूमि खसरा नं. 800 रकबा 149.6 बीघा वक्त सैटलमेंट के समय से गैर मुमकिन ओरण के रूप में दर्ज थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत चारागाह, नाड़ी, तालाब, नदी, ओरण आदि की भूमियां प्रतिबंधित भूमियां हैं, जिनका आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है एवं न ही खातेदारी अधिकार दिये जा सकते हैं। गलत आवंटन के फलस्वरूप पारित नामान्तरकरण गलत होने से निरस्त होने योग्य है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 के अनुसरण में उक्त श्रेणी की भूमियों को आवंटन अथवा खातेदारी को अवैध मानते हुए निरस्त करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय ने **Jagpal Singh & Ors vs State of Punjab & Ors on 28 January, 2011** के अनुसरण में सामुदायिक भूमि को व्यक्तिगत हित में नियमन भी प्रतिबंधित किया गया है। तहसीलदार सिवाना ने इस संबंध में कोई जांच नहीं कर बिना कोई रिकॉर्ड तथा कानून के सभी प्रावधानों को ताक में रखकर धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन कर अप्रार्थी में पक्ष में भूमि आवंटन करने एवं आवंटन के पश्चात् तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण पारित करने में भारी भूल की है, जो निरस्त करने योग्य है। प्रश्नगत भूमि का विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर आवंटन किया जाना दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित है तथा उक्त भूमि पर किसी भी व्यक्ति को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं हो सकता है। ऐसे में प्रश्नगत भूमि के आवंटन एवं नामान्तरकरणों को निरस्त करने हेतु यह मामला माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफर किये जाने योग्य है।


जिजा कलक्टर
बालोतरा

7. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि आवंटन कमेटी द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 13.07.1974 को ग्राम इन्द्राणा, तहसील सिवाना के खसरा नं. 800/1 रकबा 35.03 बीघा (नया खसरा नंबर 1495/800 रकबा 0.0405 हैक्टेयर) भूमि आवंटन एवं तत्पश्चात प्रदत्त उसकी खातेदारी निरस्त करने हेतु मामला राजस्व मण्डल अजमेर को रेफर किया जाता है।
8. आदेश आज दिनांक 16.04.2025 को सुनाया गया।


(सुशील कुमार)
जिला कलेक्टर, बालोतरा
जिला कलेक्टर
बालोतरा